न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 62/2021

अनवान : –

1. कालुराम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर। –

सायल

बनाम्

1. भीमराज पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. फुसाराम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री रतीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. प्रमेश्वरी उर्फ चुसा पुत्री रतीराम जाति जाट साकिन थिरानी तहसील नोहर।
5. राकेशकुमार पुत्र सावत्री जाति साकिन ऐटा तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
7. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता
गैरसायल

निर्णय दिनांकः 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 629/612 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि में सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 5 बहिब 1/6 एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्यास 489/480 की कुल 0.4300 हैक्ट भूमि में सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 5 बहिब 1/6 हिस्सा के एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 364/356 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 5 बहिब 1/24 हिस्स एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 4/5 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि में सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 5 बहिब 1/45 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:58 IST
Reason: SelfAttested

रतीराम पुत्र भादराम एवं उसकी ... शान्ता पत्नी रतीराम दोनो फौत हो चुके है जिसके जायज वारिसान सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 4 व 5 ता 7 है जिसमें सावित्री पुत्री रतीराम फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान गैरसायल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 5 है। वादी की बहिन इन्द्रा ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 15.04.2021 द्वारा गैरसायल न0 1 के पक्ष मे तर्क कर दिया इसलिए विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। इस्तबरदारी कोई हंस्तातरण दस्तावेज नही है तथा दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है और न की किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक हासिल होते है। दस्बरदारी से दस्बरदार होने वाले सहकाश्तकार का खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है दस्बरदारी दिनांक 15.04.2021 द्वारा इन्द्रा पुत्री रतीराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया है तथा अब वादग्रस्त भूमि से इन्द्रा पुत्री रतीराम का हक हिस्सा शेष नही रहा दस्बरदारी दिनांक 15.04.2021 से अकेले गैरसायल संख्या 1 को कोई हक व हकूक हासिल नही हुए बल्कि वादग्रस्त भूमि से इन्द्रा पुत्री रतीराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया एवं सायल व गैरसायल संख्या 1 को उक्त दस्बरदारी से कोई हक व हकूक हासिल नही हुए उक्त दस्बरदारी दिनांक 15.04.2021 बहकूक सायल शुन्य व प्रभावहीन है सायल दस्बरदारी दिनांक 15.04.2021 को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाकर विवादित भूमि में अपने 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के अधिकारी है। गैरसायल संख्या 1 ने अपनी बहिन इन्द्रा पुत्री रतीराम से दिनांक 15.04.2021 को गलत दस्बरदारी अपने नाम करवा ली एवं उक्त गलत दस्तबरदारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर हक से ज्यादा भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर हक से ज्यादा भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ती बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 629/612 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 489/480 की कुल 0.4300 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 364/356 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 4/5 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खसरा न0 229 की 1.3780 हैक्ट, 257 की 5.8680 हैक्ट कुल 7.2460 हैक्ट, ख0न0 189 की 0.4300 हैक्ट, ख0न0 181 की 3.[illegible] 182 की 2.5540 हैक्ट कुल 5.9680 हैक्ट, खसरा न0 183 की 12.7470 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाह अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि सभी पक्षकारान के विरासतन दर्ज हुयी है। अपने नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि को का काश्तकार स्वयं मालिक है एवं अपना हिस्सा अपनी मर्जी से देने के लिए स्वंतत्र है उनक द्वारा की गई दस्बरदारी सही है जो कि उप पंजीयक नोहर द्वारा प्रमाणित है तथा रिजस्टड्र दस्तावेज है जब तक दस्बरदारी बहाल है इस न्यायालय से किसी भी प्रकार की घोषणा नही करवाई जा सकती है दस्तबरदारी रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे सिविल न्यायालय से खारिज करवाना चाहिए था लेकिन प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही कि गई इसलिए प्रार्थना पत्र 212 खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायला व गैरसायल के ना बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी की बहिन इन्द्रा ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 15.04.2021 द्वारा गैरसायल न0 1 के पक्ष मे तर्क कर दिया इसलिए विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। इस्तबरदारी कोई हंस्तातरण दस्तावेज नही है तथा दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है और न की किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक हासिल होते है। दस्बरदारी से दस्बरदार होने वाले सहकाश्तकार का खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है दस्बरदारी दिनांक 15.04.2021 द्वारा इन्द्रा पुत्री रतीराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया है तथा अब वादग्रस्त भूमि से इन्द्रा पुत्री रतीराम का हक हिस्सा शेष नही रहा दस्बरदारी दिनांक 15.04.2021 से अकेले गैरसायल संख्या 1 को कोई हक व हकूक हासिल नही हुए बल्कि वादग्रस्त भूमि से इन्द्रा पुत्री रतीराम का हक हिस्सा समाप्त हो गया एवं सायल व गैरसायल संख्या 1 को उक्त दस्बरदारी से कोई हक व हकूक हासिल नही हुए उक्त दस्बरदारी दिनांक 15.04. 2021 बहकूक सायल शुन्य व प्रभावहीन है। सायल दस्बरदारी दिनांक 15.04.2021 को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाकर विवादित भूमि में अपने 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का अधिकारी है। जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि दस्तबरदारी एक रजिस्टर्ड बैयनामा है एवं कोई भी काश्तकार अपना हक

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा किसी को भी देने हेतु स्वतंत्र है रजिस्टर्ड दस्तावेज की सक्षम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए थी।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र सायल जवाब प्रार्थना पत्र गैरसायलान व उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदीया, शपथ पत्र का अध्ययन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि की करवाई गई दस्तवरदारी सही है अथवा गलत एक के पक्ष में मान्य है या सभी सहखातेदारों के पक्ष में मानी जावेगी।

हम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायल को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायलान को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि के सम्बध में करवाई गई दस्तबरादारी जो एक के पक्ष में करवाई गई है वह कानुनन सही है अथवा सभी सहखातेदारों के पक्ष में मानी जावेगी वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र सायल के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा गैरसायलान इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायल को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही प्रकरण एक के पक्ष में करवाई गई दस्तबरदारी से सम्बधित है जिसका अमल हो चुका है यदि गैरसायल भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देता है तो सायल को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों सालयान के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि सायलान का विवादित भूमि में अपने हको की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सालयान को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायल के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायलान अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 08.06.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:58 IST
Reason: SelfAttested